(67)

संख्या :180 /XXXVI (1)/2011 -75/07–भाग–1

प्रेषक,

श्री प्रेम सिंह खिमाल,
अपर सचिव न्याय एवं अपर विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

महाधिवक्ता,
उत्तराखण्ड,
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग–1

देहरादून : दिनांक 13 अक्टूबर, 2011

विषयः–मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में राज्य सरकार की ओर से पैरवी/बहस किये जाने हेतु अधिवक्तागण का कार्यकाल का नवीनीकरण किया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या :188/XXXVI (1)/2007–75/07 भाग–1 दिनांक 22 सितम्बर, 2010 तथा 194/XXXVI (1)/2007–75/07 भाग–1 दिनांक 4 अक्टूबर, 2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन ने सम्यक विचारोपरांत मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के समक्ष राज्य सरकार की ओर से पैरवी/बहस करने हेतु निम्नलिखित अधिवक्तागणों को कार्यकाल समाप्ति की तिथि से उनके नाम के सम्मुख अंकित पद पर कार्यकाल आगामी एक वर्ष के लिये बढाये जाने का निर्णय लिया है :–

क्र. स.	अधिवक्तागण का नाम	पद नाम
1	2	3
1–	श्री बालादत्त उपाध्याय	अपर महाधिवक्ता
2–	श्री दिनेश गहतोड़ी	स्थायी अधिवक्ता
3–	श्री विनय कुमार	स्थायी अधिवक्ता

2– उपर्युक्त नवीनीकरण/आबद्धता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि यह एक व्यावसायिक आबन्धन है, किसी 'सिविल पद' पर नियुक्ति नहीं है । इस आबन्धन को उत्तराखण्ड राज्य द्वारा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के और बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है तथा आबद्ध अधिवक्ता भी इसे कभी भी समाप्त कर सकते हैं। संबंधित अधिवक्ता अपनी आबद्धता की अवधि में उत्तराखण्ड राज्य के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार के मामले में किसी अन्य व्यक्ति/संस्था की आबद्धता स्वीकार नहीं करेंगे न ही राज्य के विरुद्ध कोई विधिक परामर्श देंगे। वे विधि परामर्शी निदेशिका के उपबन्धों का कड़ाई

से पालन करेंगे । उक्त अधिवक्ता इस आशय का प्रमाण–पत्र भी महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड के माध्यम से शासन को प्रस्तुत करेगें कि उन्हें इन शर्तों पर कोई आपत्ति नहीं है ।

3– आबद्ध अधिवक्ता को न्याय विभाग के शासनादेश संख्याः 08–xxxvi (1)/2008 - 43–एक(1)/2003 दिनांक 07 जनवरी, 2008 तथा संख्या 67/xxxvi(1)/2010-43–एक(1)/2003 दिनांक 25 जनवरी, 2010 के अनुसार फीस देय होगी ।

5– कृपया अधिवक्तागणों को तद्नुसार सूचित करने तथा आबन्धन हेतु उनकी सहमति प्राप्त कर उन्हें तद्नुसार कार्य करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(प्रेम सिंह खिमाल)
अपर सचिव ।

संख्या : 180/XXXVI (1)/2011 -75/07–भाग–1 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1– महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल ।

2– निजि सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ ।

3– निजि सचिव, मा0 न्याय मंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ ।

4– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून ।

5– वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल ।

6– मुख्य स्थाई अधिवक्ता/शासकीय अधिवक्ता, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल ।

7– सम्बन्धित अधिवक्ता ।

8– एन.आई.सी./गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(धर्मेन्द्र सिंह अधिकारी)
संयुक्त सचिव ।